# न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत 59 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं0 194/36–3–2014–07(न्यू0वे0)/04, दिनांकः 28.01.2014 द्वारा 59 अनुसूचित नियोजनो में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरो एवम् देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी हैं, उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुकम में निम्नांकित 59 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकॉक आधार वर्ष (2001=100) माह जुलाई, 2012 से दिसम्बर, 2012 के औसत 216 अंकों के ऊपर जुलाई, 2015 से दिसम्बर, 2015 के औसत अंक 267( दो सौ सरसठ) पर दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 30.09.2016 तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भांति गणना करके देय होगाः–

दृष्टांत :– रूपये 5750.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 267 पर दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 30.09.2016 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्न प्रकार देय होगाः–

$$\frac{(267-216)}{216} \times 5750 = \text{रू0 } 1357.64 \text{ प्रतिमाह}$$

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, मासिक एवम् दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत् हैं:–

| क्र0 | श्रेणी | प्रतिमाह मूल मजदूरी (रूपये में) | प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (रूपये में) | | दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 30.09.2016 तक | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | दिनांक 01.10.2015 से दिनांक 31.03.2016 तक | दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 30.09.2016 तक | कुल मजदूरी(रूपये में) | दैनिक मजदूरी (रूपये में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | अकुशल | 5750.00 | 1064.81 | 1357.64 | 7107.64 | 273.37 |
| 2 | अर्द्ध कुशल | 6325.00 | 1171.30 | 1493.40 | 7818.40 | 300.71 |
| 3 | कुशल | 7085.00 | 1312.04 | 1672.85 | 8757.85 | 336.84 |

नियोजनों के नाम :–

1. रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद (टायर और टयूब सहित) के उद्योग।
2. प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
3. मिष्ठान उद्योग।
4. वासित पेयों (एरेटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
5. फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
6. परतदार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग।
7. पेट्रोल और डीजल आयॅल पम्प।
8. डेरी और मिल्क डेरी।
9. सिले सिलायें कपड़ों की विनिर्माणशाला।
10. बाँध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
11. उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नही किया गया है ।
12. प्राइवेट अस्पताल (नर्सिंग होम्स) एवम् प्राईवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरी सामान की दुकानों।
13. ढलाई घर।
14. धातु उद्योग।
15. टिन प्लेट शेपिंग और टिन प्रिंटिंग।
16. ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों ।
17. चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माण शाला।
18. चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
19. होजरी सकर्म।
20. निजी पुस्तकालय।
21. काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
22. प्राईवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक सस्थाऐं भी सम्मिलित हैं।
23. तम्बाकू विनिर्माण।
24. धर्मशाला।
25. वानिकी (फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
26. दुकान।
27. वाणिज्य अधिष्ठान।
28. चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
29. तेल मिल।
30. लोक मोटर परिवहन।
31. यांत्रिक परिवहन कर्मशाला।
32. आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला।
33. सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण संक्रियाओं।
34. पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
35. चिकन के कार्य।
36. दियासलाई उद्योग।
37. आइसकैण्डी / आइस्क्रीम विनिर्माणशाला।
38. बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।

JANTER record DA